न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

मिसल न०– 22./2021

अनवान :–

1. सुनिल कुमार पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. सरस्वती पत्नी केशराराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–असल गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज०
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 25.11.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रशासन गावं के संग अभियान कैम्प मलवानी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 717/425 की कुल 3.9250हैक भूमि सायल एवं गैरसायल संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है।

सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृत शुद्रा रास्ता से होते हुए गैरसायल के कब्जा काश्त की भूमि प०न० 335/348(2) के किला न० 21/2 की 0.215हैक भूमि के मिन पश्चिम की 0.019हैक भूमि में से होते हुए अपने कब्जा काश्त की भूमि में पहुच जाता है यही सबसे सुविधाजनक रास्ता है।

सायल एवं गैरसायल संख्या 1 ,2 मुश्तरका खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है भविष्य में रास्ता को लेकर किसी प्रकार का विवाद नही हो इसलिये रास्ता स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 717/425 के प०न० 335/348(2) के किला न० 21/2 की 0.215हैक के मिन पश्चिम की 0.019हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त गैरसायलान संख्या 1 ,2 के अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जवाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 देने को तेयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो मुश्तरका खाते में खातेदार काश्तकार है सायल अपनी कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि में

Scanned with CamScanner

जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसके कब्जा काश्त की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

सायल एवं गैरसायल एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जो अपने अपने कब्जा काश्त की भूमि में जाने के लिये आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो

अतः सायल एवं गैरसायल 1 ,2 की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 717/425 के प0न0 335/348(2) के किला न0 21/2 की 0.215हैक्ट के मिन पश्चिम की 0.019हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....मलवाणी

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ
क्रमांक : राजस्व/2020/ 251(A)/22 दिनांक 25/11/2021

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 22 सन 2021 निर्णय दिनांक 25/11/2021

अनवान :–

अनवान :–

1. सुनिल कुमार पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1 सरस्वती पत्नी केशराराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–असल गैरसायल

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 717/425 के प0न0 335/348(2) के किला न0 21/2 की 0.215हैक्ट के मिन पश्चिम की 0.019हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया गया है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कियो जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....मलवाणी

Scanned with CamScanner